



कार्यालय :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0ब0—22/2017— 705 दिनांक : 11.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/लोहरदगा वन प्रमण्डल
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल/जमशेदपुर वन
प्रमण्डल/सरायकेला वन प्रमण्डल
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल रु0 **81.135** लाख (एककासी लाख तरह हजार पाँच सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0—36/2017खंड—42/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक—20.02.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या—04 / यो0बजट—36 / 2017खंड —22 व0प0 दिनांक—26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष—01 वानिकी, लघु शीर्ष— 102—समाज तथा फार्म वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष—59—अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 **रु0 81.135** लाख (एककासी लाख तरह हजार पाँच सौ रुपये मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	63.009
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	18.126
कुल :-		81.135

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक—1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनात्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनात्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

18. नदी तट मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी, गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट ऊँसत ऊँचाई के पौधे लगाए जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-22 / 2017-705 दिनांक- 11.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/दुमका/मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, राँची/ चाईबासा/जमशेदपुर/मेदिनीनगर/गढ़वाएनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-22 / 2017-705 दिनांक- 11.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/लोहरदगा/चाईबासा/जमशेदपुर/सरायकेला/ मेदिनीनगर/गढ़वा/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमङ्गलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य,

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमङ्गल का नाम	भौतिक उपलब्धि (कि0मी0)	वित्तीय उपलब्धि		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			166166.00	47804.50	213970.50
i	ii	vii	viii	ix	x
1	राँची वन प्रमङ्गल, राँची	10	16.617	4.780	21.397
2	लोहरदगा वन प्रमङ्गल, लोहरदगा	5	8.308	2.390	10.698
3	जमशेदपुर वन प्रमङ्गल, जमशेदपुर	5	8.308	2.390	10.698
4	चाईबासा वन प्रमङ्गल, चाईबासा	2.92	4.852	1.396	6.248
5	सरायकेला वन प्रमङ्गल, सरायकेला	5	8.308	2.390	10.698
6	गढ़वा उत्तरी वन प्रमङ्गल, गढ़वा	5	8.308	2.390	10.698
7	मेदिनीनगर वन प्रमङ्गल, मेदिनीनगर	5	8.308	2.390	10.698
सकल योग :—		37.92	63.009	18.126	81.135



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing) नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि0मी0 अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 237.38

स्पेसिंग पंक्ति से पंक्ति की दूरी—3मी0 / 2मी0
पौधे से पौधे की दूरी—3मी0 / 2मी0
प्रति कि0 मी0 पौधों की संख्या—6000

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 में)	सामग्री (₹0 में)	कुल व्यय (₹0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(B) वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाप्त कार्य (दित्तीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य एवं 70% ट्यूब वाले पौधों का क्रय, परिवहन इत्यादि।	6600 पौधा	45.00	10682.10	35854.50	46536.60
2	पौधा रोपण	प्रति कि0मी0	135.00	32046.30	0.00	32046.30
3	दो कोड़नी निकौनी	प्रति कि0मी0	150.00	35607.00	0.00	35607.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि0मी0	180.00	42728.40	0.00	42728.40
5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	9450.00	9450.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि0मी0	0.00	0.00	1500.00	1500.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि0मी0	180.00	42728.40	0.00	42728.40
8	घेरान मरम्मति	प्रति कि0मी0	10.00	2373.80	1000.00	3373.80
योग :-			700.00	166166.00	47804.50	213970.50

प्रधान मर्यादित संस्कार, विकास,
झीरखण्ड, राजीवी



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017/705

दिनांक -

11-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकारी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103	33973	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	1,661,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102590103	33974	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	830,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102590103	33975	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	830,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा कार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

योगः

3,323,300.00

क्रमिक योगः

रुपये तौसीस लाख तेहस हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF,DBADHAKHANS(RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33976	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	485,200.00 रुपये चार लाख पिचयासी हजार दो सौ
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33977	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33978	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
<hr/>				
योग:				2,146,800.00
क्रामिक योग:	रुपये चौपन लाख सत्तर हजार एक सौ			5,470,100.00
<hr/>				
Page 2 of 5	164,100,150.21	PCCF,D(BADHANGAHS)RANCHI	Run Date:	11/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33979	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
8	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33980	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	478,000.00 रुपये चार लाख अठहत्तर हजार
9	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33981	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
योग:				1,547,800.00
क्रमिक योग:				7,017,900.00
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, D.B.D.H.A.N.G.S (RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33982	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHPUR PRM.JSR.	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
11	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33983	SGHFOR010 VINAY KANT MISHRA (I.F.S.) DFO,CHAIBASA FOREST DIV.	139,600.00 रुपये एक लाख उनचालीस हजार छ: सौ
12	State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33984	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
<hr/>				
योग:				617,600.00
क्रमिक योग:	रुपये छहत्तर लाख पैसों सौ		(SHRI SATNAM SINGH)	7,635,500.00
<hr/>				
Page 4 of 5	164,100,150,21	PCCF,DEADMANHANS,RANCHI	Run Date:	11/6/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33985	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
14	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	33986	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
<hr/>				
योग:				478,000.00
क्रमिक योग:	रुपये इक्कीसाँसी लाख तेरह हजार पौँच सौ			8,113,500.00
<hr/>				
Page 5 of 5	164,100,150.21	PCCF.DEPARTMENT OF RANCHI	Run Date:	11/6/2018